उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग 1
संख्या-4/5116 /9.1.13-310 सा /13
लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1916) की धारा-56 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण / तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्रं0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड संख्या	सदस्य का नाम	मृत्यु /त्याग पत्र का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	बदायूं	नगर पंचायत सैदपुर	09	श्री अब्दुल्ला	02.03.2013
2.	मथुरा	नगर पंचायत सौंख	09	श्रीमती अनोखी	07.09.2013

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-4/5116 (1) /9.1.13-310 सा /13,तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड –ख में दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित कराकर 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनु01, बापू भवन, सातवां तल, लखनऊ तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 पी0सी0एफ0 भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/5116 (2) /9.1.13-310 सा /13,तददिनांक

1. **(स्पीड पोस्ट):** संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उ0प्र0, पी0सी0एफ0 भवन, स्टेशन रोड, लखनऊ।
2. आयुक्त, आगरा/ बरेली मण्डल ।
3. जिलाधिकारी, बदायूं/मथुरा।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सौंख, मथुरा एवं सैदपुर, बदायूं ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in